संख्या-330/2025/230के-2/22-3-2024-17(507)/2024

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश मिश्र,
उप सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 लखनऊ दिनांक 25 जुलाई, 2025

विषयः- जिला कारागार, महाराजगंज में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी विनय कुमार जायसवाल पुत्र स्व0 शिवकुमार, निवासी जनपद-महराजगंज की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने कार्यालय के पत्र संख्या-20258/प्रोवेशन-3-फार्म-ए/(एम-28.06.2024) दिनांक-08.07.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, महाराजगंज में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी विनय कुमार जायसवाल पुत्र स्व0 शिवकुमार, ग्राम-बृजमनगंज, थाना- बृजमनगंज, जनपद-महराजगंज का निवासी है। सम्पत्ति के बटवारे की रंजिश को लेकर दिनांक 07.05.2009 को बंदी ने रिवाल्वर से गोली मारकर अपने भाई दिलीप जायसवाल की हत्या कर दी तथा अपनी माँ को घायल कर दिया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-09/2010 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-302, 307, 506 व 3/25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत मा० न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या-02, महराजगंज के आदेश दिनांक 17.05.2012 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। दिनांक-10-08-2023 तक बन्दी की आयु 48 वर्ष 02 माह 24 दिन है। जिला मजिस्ट्रेट, महराजगंज की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 05.04.2024 में जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी का अपराध जघन्य अपराध की श्रेणी में होने, भविष्य में अपराध किये जाने की सम्भावना से इन्कार नहीं किये जाने, पुनः अपराध करने की सम्भावना होने, जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने का अंकन करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड द्वारा सिद्धदोष बंदी विनय कुमार जायसवाल पुत्र स्व० शिवकुमार की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई पर विचार-विमर्श किया गया। बोर्ड के सदस्यों का अभिमत है कि सम्पत्ति के बटवारे की रंजिश को दिनांक 07.05.2009 को बन्दी ने रिवाल्वर से गोली मारकर अपने भाई दिलीप जायसवाल की हत्या कर दी तथा अपनी माँ को घायल करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध करने की सम्भावना होने, पुनः अपराध करने में अशक्त न होने का अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समिति व निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी विनय कुमार जायसवाल पुत्र स्व० शिवकुमार को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार, महराजगंज में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी विनय कुमार जायसवाल (बन्दी संख्या-114/2012) पुत्र स्व0 शिवकुमार, निवासी- जनपद-महराजगंज को फार्म-ए/लाईसेंस पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति मा0 राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार बंदी के फार्म-ए/लाईसेंस पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
सूर्य प्रकाश मिश्र
उप सचिव।

संख्या-330/2025/230के-2(1)/22-3-2024 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ।

2- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 राज्य मंत्री जी को सूचनार्थ।

3- जिला मजिस्ट्रेट, महराजगंज।

4- अधीक्षक, जिला कारागार, महराजगंज।

5- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रिमि0) संख्या-529/2021 सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा सुओ मोटो रिट पिटीशन (क्रिमि0) संख्या-04/2021 पॉलिसी स्ट्रेट्जी फार ग्रान्ट ऑफ बेल में दिनांक 10.09.2024 को पारित आदेशों के सन्दर्भ में।

6- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।

7- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
अनीस अख्तर अंसारी
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-330/2025/230के-2/22-3-2024-17(507)/2024

दिनांक 25 जुलाई, 2025 का संलग्नक

सरकार के आदेश

जिला कारागार, महाराजगंज में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी विनय कुमार जायसवाल पुत्र स्व0 शिवकुमार, ग्राम-बृजमनगंज, थाना- बृजमनगंज, जनपद-महराजगंज का निवासी है। सम्पत्ति के बटवारे की रंजिश को लेकर दिनांक 07.05.2009 को बंदी ने रिवाल्वर से गोली मारकर अपने भाई दिलीप जायसवाल की हत्या कर दी तथा अपनी माँ को घायल कर दिया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-09/2010 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-302, 307, 506 व 3/25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत मा० न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या-02, महराजगंज के आदेश दिनांक 17.05.2012 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। दिनांक-10-08-2023 तक बन्दी की आयु 48 वर्ष 02 माह 24 दिन है। जिला मजिस्ट्रेट, महराजगंज की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 05.04.2024 में जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी का अपराध जघन्य अपराध की श्रेणी में होने, भविष्य में अपराध किये जाने की सम्भावना से इन्कार नहीं किये जाने, पुनः अपराध करने की सम्भावना होने, जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने का अंकन करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड द्वारा सिद्धदोष बंदी विनय कुमार जायसवाल पुत्र स्व० शिवकुमार की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई पर विचार-विमर्श किया गया। बोर्ड के सदस्यों का अभिमत है कि सम्पत्ति के बटवारे की रंजिश को दिनांक 07.05.2009 को बन्दी ने रिवाल्वर से गोली मारकर अपने भाई दिलीप जायसवाल की हत्या कर दी तथा अपनी माँ को घायल करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध करने की सम्भावना होने, पुनः अपराध करने में अशक्त न होने का अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समिति व निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी विनय कुमार जायसवाल पुत्र स्व० शिवकुमार को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बंदी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

सूर्य प्रकाश मिश्र

उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।